बैठक सं० 72
एजेन्डा -72:1
दिनांक 24.12.10

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांकः–जविप्रा / अ.आ. / एल.पी.सी. / 10 / डी– 1737   दिनांकः– 7/12/10

कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पति निस्तारण समिति की 71वीं बैठक दिनांकः 25.11.10 को प्रातः 10:30 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में चिन्तन सभा कक्ष में आयोजित की गई, जिसमें भाग लेने वाले अधिकारीगण का विवरण परिशिष्ठ 'अ' पर संलग्न है। बैठक में विचार विमर्श पश्चात निम्नांकित निर्णय पारित किये गये :–

क्र. सं	जोन नं.	प्रस्ताव संख्या	विषय	निर्णय
1.		71:1	प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की आयोजित 70वीं बैठक दिनांक 29.10.10 के कार्यवाही विवरण की पालना की समीक्षा एवं 52वीं से 70वीं बैठकों में लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति की समीक्षा।	**I. 70वीं बैठक दिनांक 29.10.10:–** प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की आयोजित 70वीं बैठक के कार्यवाही विवरण के प्रस्ताव सं. 70:15(2) के निर्णय में से "प्रकरण राज्य सरकार को अनुमोदनार्थ भिजवाया जावे" को विलोपित करते हुए अनुमोदन किया गया। अधिकांश प्रकरणों में राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त होना शेष बताया गया। आयुक्त महोदय ने संबंधित जोन उपायुक्तों को निर्देश दिये कि उक्त प्रकरणो में राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्ति हेतु पत्राचार किया जावें। 68वीं बैठक दिनांक 29.07.10 के प्रस्ताव सं. 68:8(4) में लिये गये निर्णय की पालना चार माह पश्चात भी नहीं की गई है जिसे आयुक्त महोदय ने गम्भीरता से लिया एवं सचिव को निर्देश दिये कि वे प्रकरण में हुए निर्णय की पालना में विलम्ब के संबंध में जांच कर वस्तुस्थिति की रिपोर्ट आगामी बैठक में प्रस्तुत करे। प्रस्ताव सं. 70:8 की पालना में उपायुक्त द्वारा संबंधित को सूचित कर दिया गया है। भविष्य में जविप्रा की एक योजना से दूसरी योजना में भूखण्ड विनिमय के प्रार्थना पत्र किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं किये जावें एवं पूर्व में इस प्रकार जो विनिमय किये गये है, उनकी समीक्षा हेतु संबंधित जोन आगामी बैठक में प्रकरण प्रस्तुत करे।
2.	12	71:2	ग्राम गजाधरपुरा की गोचर भूमि के खसरा नम्बर 137 में से 5 बीघा भूमि आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त ने बताया कि प्रश्नगत भूमि पर लगभग 80 कालबेलिया परिवार लगभग 15 वर्ष से निवास कर रहे है। अतः ग्राम पंचायत को उक्त 5 बीघा भूमि केवल मात्र इन परिवारों को पट्टा देने हेतु आवश्यक शर्तो का उल्लेख करते हुए दिये जाने का निर्णय लिया गया।
3.	7	71:3	आर.के.यादव मेमोरियल सोसायटी, सिरसी रोड, जयपुर को ग्राम सिरसी के खसरा नं. 1770 एवं 1771 में भूमि आवंटन के संबंध में	संस्था को राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प–3(55)नविवि / 3 / 2002 दिनांक 14.02.2005 के अनुसरण में नशा मुक्ति केन्द्र की स्थापना हेतु 1000 वर्गगज भूमि निःशुल्क एवं 327.12 वर्गगज भूमि आवासीय आरक्षित दर 2500 / –रू. प्रति वर्गमीटर की 25 प्रतिशत अर्थात 625 / –रू. प्रति वर्गमीटर की दर से आवंटन करने की अभिशंषा राज्य सरकार को भिजवाने का निर्णय लिया गया।

उपायुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

4.	12	71:4	भू.सं. डी–218 हाथोज विस्तार योजना के क्षेत्रफल 162.00व.मी. के स्थान पर अन्य भूखण्ड विनिमय करने बाबत प्रार्थी श्री रमेश बलाना	प्रस्तावानुसार भूखण्ड सं. डी–218 के स्थान पर डी–139 विनिमय करने का निर्णय लिया गया।
5.	12	71:5	ग्राम पंचायत भम्भौरी को कब्रिस्तान हेतु भूमि आवंटन के संबंध में।	प्रस्तावानुसार खसरा नं. 19 में से नक्शे में प्रदर्शित 2 बीघा भूमि कब्रिस्तान हेतु आरक्षित करने का निर्णय लिया गया। सूचना राजस्थान वक्फ बोर्ड को भी दी जावे।
6.	7	71:6	विधानसभा सचिवालय अधिकारी/कर्मचारी समूह आवास योजना विस्तार, धाउवास के कॉनर भूखण्डों के बढे हुए क्षेत्रफल के आवंटन एवं दर निर्धारण के संबंध में	प्रस्तावानुसार कुल 16 भूखण्डों में से भूखण्ड सं. 2, 185 व 190 खसरा विवाद में है। शेष भूखण्डों में बढ़े हुए क्षेत्रफल को स्ट्रीप ऑफ लैण्ड मानते हुए आरक्षित दर की दुगुनी दर पर आवंटन का निर्णय लिया गया। भूखण्ड सं. 89, 142 व 124 का बढा हुआ क्षेत्रफल 100 वर्गगज से अधिक होने के कारण राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त की जावे। जोन की तत्कालीन आवासीय आरक्षित दर 1650/–रू. प्रति वर्गमीटर थी तथा वर्तमान दर 2500/–रू. प्रति वर्गमीटर है। दर के निर्धारण के संबंध में भी राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त की जावे।
7.	1	71:7	33/11 के.वी. उप–चौकी मानसिंहपुरा, गांधी नगर रेलवे स्टेशन, टोंक रोड को शिफ्ट करवाने बाबत 683.33 वर्गगज भूमि आवंटन करने के संबंध में।	वर्तमान 33/11 के.वी. उप–चौकी मानसिंहपुरा, गांधी नगर रेलवे स्टेशन, टोंक रोड से यातायात व गाडियों की पार्किंग की समस्या होती है। अतः उक्त भूखण्ड के एवज् में चौकी को ग्राम रामपुरा रूपा के खसरा नं. 467 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा में से 683.33 वर्गगज भू–भाग दिये जाने का निर्णय लिया गया। उक्त स्थान तक एप्रोच के लिये 4 मीटर चौडे रास्ते के लिये 30.42 वर्गगज भूमि आरक्षित करने का भी निर्णय लिया गया।
8.	12	71:8	ग्राम बेगस तहसील जयपुर को शमशान हेतु भूमि आरक्षित करने बाबत।	प्रस्तावानुसार खसरा नं. 216/2 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा भूमि श्मशान के लिये आरक्षित करने का निर्णय लिया गया।
9.	9	71:9	डा0 एम0एन0 टण्डन मैमोरियल ट्रस्ट को भूमि आवंटन बाबत।	प्रकरण में संस्था का नाम परिवर्तन करने की अभिशंषा समस्त तथ्यों का विस्तार से उल्लेख करते हुए राज्य सरकार को भिजवाने का निर्णय लिया गया।
10.	8	71:10	माली समाज को वृद्धाश्रम, बेरोजगार प्रशिक्षण, छात्रावास, सामूहिक विवाह एवं सामाजिक गतिविधि हेतु भूमि आवंटन के संबंध में।	संस्था के अध्यक्ष श्री ओम राजोरिया द्वारा प्रस्तुतीकरण दिया गया। इन्हे विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

आयुक्त महोदय की अनुमति से निम्न अतिरिक्त एजेण्डा पर चर्चा कर निर्णय लिये गये :–

1.	9	71:10(1)	जसदेव सिंह पदक विजेता को अवाप्त भूमि के बदले एलपीसी की बैठक दिनांक 29.10.10 में भूमि आवंटन का निर्णय लिखा गया था। अतिरिक्त 100 वर्गगज भूमि की दर निर्धारण हेतु निर्णय लिया जाना है।	अतिरिक्त 100 वर्गगज भूमि आवासीय आरक्षित दर की दुगुनी दर पर आवंटन का निर्णय लिया गया।

आयुक्त (एल.पी.सी.) जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

2.	13	71:10(2)	राजस्थान यूनानी मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल को भूमि आवंटन करने बाबत।	प्रस्तावानुसार ग्राम कानोता में 5 बीघा भूमि संस्थानिक आरक्षित दर पर आवंटन की अभिशंषा के साथ प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाने का निर्णय लिया गया।
3.		71:10(3)	केन्द्रीय कारागार जयपुर को अन्यत्र स्थानान्तरित करने व वैकल्पिक स्थल का चयन करने बाबत।	ग्राम बगराना के खसरा नं. 1, 286, 288, 329, 339, 280 व 342 कुल रकबा 95 बीघा 15 बिस्वा भूमि आरक्षित करने का निर्णय लिया गया। महानिदेशक, कारागार से सहमति प्राप्त कर उपायुक्त जोन 10 आगामी कार्यवाही सुनिश्चित करे।
4.	4	71:10(4)	राधा गोविन्द एस्टेट प्रा0 लि0 को खसरा नं. 185 व 187 की 200 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त स्तर से राज्य सरकार को गैर मुमकिन रास्ते की भूमि निजी खातेदार को आवंटित करने के संबंध में मार्गदर्शन प्राप्त किया जावे।
5.	6	71:10(5)	बक्फ बोर्ड / कमेटी को मुरलीपुरा स्कीम में मस्जिद के लिये भूमि आवंटन बाबत।	विस्तृत तथ्यों के साथ प्रकरण आगामी बैठक में पेश करे।
6.	6	71:10(6)	दी कृष्णा को. हॉ. सो. लि. की योजना उधोग नगर के सुविधा क्षेत्र में दर्शित 2429.61 वर्गगज भूमि कब्रिस्तान हेतु बक्फ बोर्ड को आवंटन करने बाबत।	प्रस्तावानुसार कब्रिस्तान हेतु 2429.61 वर्गगज भूमि Subject to End use change आरक्षित करने का निर्णय लिया गया। वक्फ बोर्ड को भी सूचित किया जावे।
7.	13	71:10(7)	दस्तकार नगर बसाने हेतु भूमि आवंटन बाबत।	उपायुक्त जोन 13 ने बताया कि ग्राम नायला के खसरा नं. 6/1 में 99 बीघा 9 बिस्वा भूमि उपलब्ध है। अतः उक्त भूमि दस्तकार नगर बसाने हेतु आरक्षित करने का निर्णय लिया गया।
8.	10	71:10(8)	डा. आई. टी. प्लेनेटस लि. को बी.पी.ओ. सेन्टर स्थापित करने हेतु 1 एकड भूमि जयपुर में आवटन करने बाबत।	आई.टी. एवं आई.टी.ई.एस. पॉलिसी 2007 के तहत गठित प्रोजेक्ट अप्राइजल कमेटी की बैठक दिनांक 16.04.08, 23.04.08 व 23.04.09 में डा0 आई.टी. प्लेनेट्स को 1 एकड़ भूमि आवंटन की अभिशंषा की है। ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेन्ट प्रमोशन एवं प्रमुख शासन सचिव ने सभी आई. टी. यूनिट्स को एक ही क्षेत्र ग्राम जामडोली में भूमि आवंटन का सुझाव दिया है। अतः ग्राम जामडोली के खसरा नं. 165, 448, 505/1 में से 1 एकड़ भूमि संस्था को राजस्थान इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट (डिस्पोजल ऑफ अरबन लैण्ड) रूल्स 1974 के नियम 15(ख) व राज्य सरकार के परिपत्र प-3(28)नविवि/3/96 दिनांक 17.11.2001 के अन्तर्गत आवंटन की अभिशंषा के साथ प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया। उक्त भूमि ईकॉलोजिकल क्षेत्र व प्रस्तावित नया जयपुर क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। जिसे मुक्त करने की कार्यवाही राज्य सरकार के स्तर पर की जानी है।

आयुक्त (भू.प्र.बी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

9.	10	71:10(9)	कामटेक के.पी.ओ. पार्क लि. को जामडोली में 1.20 एकड़ भूमि आवंटन बाबत।	आई.टी. एवं आई.टी.ई.एस. पॉलिसी 2007 के तहत गठित प्रोजेक्ट अप्राइजल कमेटी की बैठक दिनांक 20.08.08 में कामटेक ऐसोसियेट्स प्रा0 लि0 को 5 एकड़ भूमि आवंटन की अभिशंषा की है। ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेन्ट प्रमोशन एवं प्रमुख शासन सचिव ने सभी आई.टी. यूनिट्स को एक ही क्षेत्र ग्राम जामडोली में भूमि आवंटन का सुझाव दिया है। अतः ग्राम जामडोली के खसरा नं. 165, 448, 505/1 में से 1.20 एकड़ भूमि संस्था को के.पी.ओ. पार्क स्थापित करने हेतु राजस्थान इम्प्रुवमेन्ट ट्रस्ट (डिस्पोजल ऑफ अरबन लैण्ड) रूल्स 1974 के नियम 15(ख) व राज्य सरकार के परिपत्र प–3(28)नविवि/3/96 दिनांक 17.11.2001 के अन्तर्गत आवंटन की अभिशंषा के साथ प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया। उक्त भूमि ईकॉलोजिकल क्षेत्र व प्रस्तावित नया जयपुर क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। जिसे मुक्त करने की कार्यवाही राज्य सरकार के स्तर पर की जानी है।
10.	10	71:10(10)	टेक्नोस्क्राईब ईन लि0 को ग्राम जामडोली में भूमि आवंटन बाबत।	आई.टी. एवं आई.टी.ई.एस. पॉलिसी 2007 के तहत गठित प्रोजेक्ट अप्राइजल कमेटी की बैठक दिनांक 16.04.08, 23.04.08 व 23.04.09 में एच.सी.एल. इन्फोसिस्टम लि0 को 5000 वर्गमीटर भूमि आवंटन की अभिशंषा की हैं। ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेन्ट प्रमोशन के पत्र दिनांक 14.12.09 में एच. सी.एल. इन्फोसिस्टम लि0 द्वारा आवंटन हेतु रूचि न ली जाने के कारण इसके स्थान पर मै0 टेक्नोस्क्राईब ईन को भूमि आवंटन हेतु लिखा है। ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेन्ट प्रमोशन एवं प्रमुख शासन सचिव ने सभी आई.टी. यूनिट्स को एक ही क्षेत्र ग्राम जामडोली में भूमि आवंटन का सुझाव दिया है। टेक्नोस्क्राईब ईन एटा सोल्यूशन प्रा0 लि0 का ट्रेडिंग नाम है। अतः उक्त संस्था को के.पी..ओ. यूनिट स्थापित करने हेतु ग्राम जामडोली के खसरा नं. 165, 448, 505/1 में से 1.20 एकड़ भूमि संस्था को राजस्थान इम्प्रुवमेन्ट ट्रस्ट (डिस्पोजल ऑफ अरबन लैण्ड) रूल्स 1974 के नियम 15(ख) व राज्य सरकार के परिपत्र प–3(28)नविवि/3/96 दिनांक 17.11.2001 के अन्तर्गत आवंटन की अभिशंषा के साथ प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया। उक्त भूमि ईकॉलोजिकल क्षेत्र व प्रस्तावित नया जयपुर क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। जिसे मुक्त करने की कार्यवाही राज्य सरकार के स्तर पर की जानी है।

बैठक सधन्यवाद समाप्त की गई।

सदस्य सचिव (पी.सी.)
एवं
अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:--

1. निजी सचिव, माननीय संसदीय सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
3. निजी सचिव, जयपुर विकास आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
4. जिला कलक्टर, जयपुर
5. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर
6. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर
7. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, जयपुर
8. मुख्य अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर
9. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
10. निदेशक(वित्त / अभि० / आयोजना), जविप्रा, जयपुर
11. अतिरिक्त आयुक्त(पूर्व / प्रशासन / एल.पी.सी. / भूमि), जविप्रा, जयपुर
12. अतिरिक्त निदेशक(राजस्व एवं सम्पति निस्तारण), जविप्रा, जयपुर
13. उपायुक्त जोन--1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
14. जन सम्पर्क विशेषाधिकारी, जविप्रा, जयपुर
15. रक्षित पत्रावली

सदस्य सचिव
प्राति० आयुक्त (एल.पी.सी.)
एवं
अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.) जयपुर

6

परिशिष्ट 'अ'

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

उपस्थिति पत्र

भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 71वी बैठक दिनांक 25.11.10 में उपस्थित अधिकारियों की सूची:–

क्र.सं.	नाम अधिकारी मय पद	एल.पी.सी. में पद
1.	श्री सुधांश पंत, आयुक्त	अध्यक्ष
2.	श्रीमती शुचि शर्मा, कार्यवाहक सचिव	सदस्य
3.	श्री डी.सी. जबडा निदेशक (वित्त)	सदस्य
4.	श्री शफी मोहम्मद कुरैशी, अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी)	सदस्य सचिव
5.	श्री पी. अरविन्द, वरिष्ठ नगर नियोजक	सदस्य प्रतिनिधि
6.	श्री जाकिर हुसैन, अतिरिक्त निदेशक (राजस्व)	विशेष आमंत्रित
7.	श्रीमती स्मिता शरीन, उप निदेशक (प्रोजेक्ट एवं ऑडीट)	विशेष आमंत्रित
8.	श्री नरेन्द्र सिंह, उपायुक्त जोन–2 व 13	विशेष आमंत्रित
9.	श्री राजेन्द्र विजय, उपायुक्त जोन–4	विशेष आमंत्रित
10.	श्री गिरीश पारासर, उपायुक्त जोन–5	विशेष आमंत्रित
11.	श्री राकेश शर्मा, उपायुक्त जोन–6 व 8	विशेष आमंत्रित
12.	श्री एस. मित्रा, उपायुक्त जोन–7	विशेष आमंत्रित
13.	श्री अनिल अग्रवाल, उपायुक्त जोन–9	विशेष आमंत्रित
14.	श्री औंकार मल सैनी, उपायुक्त जोन–10 व 1	विशेष आमंत्रित
15.	श्री पुरूषोत्तम शर्मा, उपायुक्त जोन–12	विशेष आमंत्रित
16.	श्रीमती नर्बदा, विशेषाधिकारी (ज़न सम्पर्क)	विशेष आमंत्रित